न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान—2023 कोर्ट कैम्प विशाला आगोर
राजस्व अपील संख्या :— 01 / 2023

अपीलकर्ता		उत्तरदातागण
1 धनी पुत्री पारू पत्नी हदाराम जाति भील निवासी विशाला आगोर (शिवपुरा गोलियार राणाऊ) बाड़मेर 2 भूरीदेवी पुत्री पारू पत्नी कानाराम जाति भील निवासी सेजुओं की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1 ग्राम पंचायत सेजुओं की ढाणी जरिये सरपंच 2 पवनी पुत्री पारू पत्नी जैसाराम जाति भील निवासी सेजुओं की ढाणी 3 इन्द्रा पुत्री पारू पत्नी हेमाराम जाति भील निवासी विशाला आगोर 4 सीता पत्नी पारू जाति भील निवासी सेजुओं की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

आदेश

दिनांक 07/07/23

संक्षिप्त में अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण एवं उतरदाता संख्या 02 से 03 एक ही परिवार के सदस्य है तथा चारो सगी बहने है तथा बादरा की वारिशान है, जो हिन्दू विधि से शासित है। अपीलान्टगण एवं उतरदाता संख्या 02 से 04 की पैतृक खातेदारी भूमि मौजा सेजुओं की ढाणी पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 672 रकबा 79.03 बीघा भूमि आई हुई है जिसमे अपीलान्टगण एवं उतरदाता संख्या 02 से 04 का 1/2 हिस्सा अर्थात 39.11.10 बीघा भूमि खातेदारी अधिकारों की भूमि है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट से अपीलान्टगण के दादा के नाम से खातेदारी में दर्ज हुई थी। वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने से खसरा संख्या 672 रकबा 79.03 बीघा भूमि में अपीलान्टगण का जन्म से हिस्सा निहित है। अपीलान्टगण के पिता पारूराम का देहान्त दिनांक 21.09.2018 को होने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.05.2021 को भरा गया जो भू अभिलेख निरीक्षक के समक्ष द्वारा बाद जांच दिनांक 04.06.2021 को उत्तरदाता संख्या 01 के समक्ष स्वीकृत करने हेतु रखा गया जिसमें अंकित किया कि "जांच का अंकन सही पाया गया" दिनांक 05.07.2021 को नामान्तकरण संख्या 474 का स्वीकृत कर दिया जो बिना वारिशों की जांच किये किया है। उतरदाता संख्या 01 ग्राम पंचायत सेजुओं की ढाणी ने मौजा सेजुओं की ढाणी पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 672 रकबा 79.03 बीघा भूमि में अपीलकर्तागण के पिता पारूराम का स्वर्गवास दिनांक 21.09.2018 को होने पर उतरदाता संख्या 02 व 03 ने उतरदाता संख्या 01 से मिलिभगत कर नामान्तकरण 474 दिनांक 05.07.2021 को स्वीकृत करवाकर अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा दिये। उक्त नामान्तकरण उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारूराम के विधिक वारिशों की सही जांच नही कर अपीलान्टगण का नाम अंकित नही किया गया, जबकि अपीलान्ट भी पारूराम की विधिक पुत्री होने से उक्त नामान्तकरण में अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

की अधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत अपीलान्टगण, पारूराम की जायन्दा पुत्रीयां होने के नाते उत्तरदाता संख्या 02 व 03 के साथ प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा उक्त खेती में पारूराम के देहान्त होने के पश्चात अपीलकर्तागण का जन्म से हिस्सा बनता है। उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा बिना पारूराम के विधिक वारिशों की जांच किये बिना भरा गया नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शून्य है, जिसके कारण खारिज होने योग्य है। उक्त नामान्तकरण का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 03.01.2023 को हुआ तब अपीलकर्तागण द्वारा नकले प्राप्त की गई तथा अपीलकर्तागण द्वारा जानबूझकर कोई देरी नही की गई है। इस प्रकार ज्ञान की तिथि से यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। लिहाजा अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाकर मौजा सेजुओं की ढाणी पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 672 रकबा 79.03 बीघा भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 474 दिनांक 05.07.2021 को निरस्त करते हुए अपीलकर्तागण का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

वकील अपीलकर्तागण द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 474 दिनांक 05.07.2021 का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी अपील दायर करने से 20 दिवस पूर्व हुई अपीलकर्तागण उक्त नामान्तकरण का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 03.01.2023 को हुआ तब अपीलकर्तागण द्वारा नकले प्राप्त की गई तथा अपीलकर्तागण द्वारा जानबूझकर कोई देरी नही की गई है। उक्त ज्ञान होने पर अपीलान्टगण द्वारा अपील प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत म्याद में सुमार करने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उत्तरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्प बिशाला आगोर में मजमे आम में उत्तरदातागण को आवाजे लगाई गई। मजमे आम में उपस्थित लोगो से पारूराम के विधिक वारिशान के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। मजमे आम में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों ने पारूराम की पुत्री अपीलकर्ता का होने स्वीकार किया। उत्तरदातागण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही किया है लिहाजा वकील उत्तरदातागण का जवाब बन्द किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज, खतौनी बन्दोबस्त, फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 474 दिनांक 05.07.2021 का अवलोकन किया गया। उक्त फौतेदगी नामान्तकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण हेतु अपीलकर्तागण का नाम भी उल्लेखित किया गया था, परन्तु उत्तरदातागण द्वारा अपीलकर्तागण का नाम से नामान्तकरण पारित नही किया गया। प्रकट तथ्यो एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पारूराम पुत्र बादरा के

देहान्त के पश्चात उनकी फौतगी नामान्तकरण तहसीलदार बाडमेर से पुनः विधिक वारिशान की जांच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 05 म्याद अधिनियम अन्दर म्याद सुमार की जाती है तथा अपील स्वीकार की जाकर मौजा सेजुओं की ढाणी पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 672 रकबा 79.03 बीघा भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 474 दिनांक 05.07.2021 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाडमेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा सेजुओं की ढाणी पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 672 रकबा 79.03 बीघा भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 474 दिनांक 05.07.2021 में पारूराम पुत्र बादरा के वैध वारिसान की जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
SDO-बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 07/07/23 को मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
SDO-बाड़मेर